रजिस्टर्ड / सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-660 / 2018 / 1096 / 22-2-2018-17(133) / 2018
लखनऊ: दिनांक: 26 सितम्बर, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, बरेली** के सिद्धदोष **बन्दी श्यामलाल (बन्दी संख्या-38004) पुत्र श्री सरजू, जो-ग्राम-गनुआपुर, मौजा-जहांगीराबाद, थाना-सदरपुर, जनपद-सीतापुर** का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-69 / 1979** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-147, 323 / 149, 302 / 149** के अधीन **दिनांक 14.07.1979** को **मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सीतापुर** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं] तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-660 / 2018 / 1096(1) / 22-2-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
3- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in